रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05

REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 26] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 1—जुलाई 7, 2006 (आषाढ़ 10, 1928)

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 1—JULY 7, 2006 (ASADHA 10, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
भाग I--खण्ड-1--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	505
भाग I--खण्ड-2--(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	575
भाग I--खण्ड-3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	9
भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	789
भाग II--खण्ड-1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खण्ड-1क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खण्ड-2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं।	*
भाग II--खण्ड-3--उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	
भाग II--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खण्ड-1--उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
	1735
भाग III--खण्ड-2--पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	277
भाग III--खण्ड-3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग III--खण्ड-4--विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2863
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	483
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]
[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 जून 2006

संकल्प

राष्ट्रीय स्थानिक आंकड़ा अवसंरचना का गठन

सं. एसएम/25/003/05

1. जबकि स्थानिक आंकड़ा अवसंरचना प्रौद्योगिकियों, नीतियों और संस्थागत व्यवस्थाओं का संग्रह है जिसका उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों और संगठनों द्वारा अधिग्रहित और धारित स्थानिक आंकड़ा की प्रयोक्ताओं के विशाल, विविध और सदैव बढ़ते समुदाय की उपलब्ध और सुलभ कराने में सुविधा प्रदान करना तथा सतत् आर्थिक विकास के लिए सामुदायिक, स्थानीय, राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर स्थानिक आंकड़ा अवसंरचना के प्रयोग को बढ़ावा देना है।

और जबकि भारत सरकार स्थानिक आंकड़ा के अधिग्रहण, प्रक्रिया, भण्डारण, वितरण और उपयोग में सुधार करने के प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय स्थानिक आंकड़ा अवसंरचना (एन.एस.डी.आई.) के रूप में ज्ञात राष्ट्रीय अवसरंचना की स्थापना करने का प्रस्ताव करती है जो भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा जुटाये जा रहे स्थानिक आंकड़ों का प्रारंभिक माध्यम होगा।

और जबकि भारत सरकार की आंकड़ा सृजन एजेंसियां प्रारंभ में एन.एस.डी.आई. की योगदान करने वाली एजेंसियां होंगी और यह कि सरकार इस प्रयोजनार्थ अन्य आंकड़ा सृजन एजेंसियों की सहभागिता की राष्ट्रीय स्थानिक आंकड़ा समिति (एन.एस.डी.आई.) के माध्यम से सुविधाजनक बनायेगी।

अब इसलिए भारत सरकार ने तदनुसार इस संकल्प में यथा विनिर्दिष्ट संरचना, कार्यो और अधिकारों के साथ एन.एस.डी.सी. की स्थापना करने का निर्णय लिया है :--

2. राष्ट्रीय स्थानिक आंकड़ा समिति (एन.एस.डी.सी.) का गठन

एन.एस.डी.सी. का निम्नलिखित स्थायी सदस्यों के साथ गठन किया जाएगा (पदेन) :

(i)	विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार	अध्यक्ष
(ii)	सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, भारत सरकार	सदस्य
(iii)	सचिव, अन्तरिक्ष विभाग, भारत सरकार	सदस्य
(iv)	सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(v)	सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(vi)	सचिव, जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(vii)	सचिव, भू संसाधन विभाग, भारत सरकार	सदस्य
(viii)	सदस्य सचिव, योजना आयोग,	सदस्य
(ix)	सचिव, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(x)	सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(xi)	सचिव, महासागर विकास विभाग,	सदस्य
(xii)	सचिव, खान मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(xiii)	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
(xiv)	महा-पंजीयक, भारत जनगणना	सदस्य
(xv)	महासर्वेक्षक, भारतीय सर्वेक्षण विभाग/निदेशक, एनआरएसए	सदस्य-सचिव

ऐसी तारीख एवं शर्तों पर जैसाकि एन एस डी सी द्वारा निर्धारित की जाएं, एन एस डी सी निम्नलिखित अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्त कर सकती है :--

(क) अधिकतम 5 (पांच) भारत सरकार अथवा राज्य सरकार विभागों के सचिव स्तर के अधिकारी जिनके कार्यकलाप एन एस डी आई से संबंधित हो।

(ख) भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस), सुदूर संवेदन, अंकीय मानचित्रण, फोटोग्रामिट्री, स्थानिक एवं गैर-स्थानिक डाटाबेसों, सूचना प्रौद्योगिकी, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, व्यवसाय प्रबंधन, विधि एवं अन्य संबंधित क्षेत्र - एन एस डी आई से संबंधित क्षेत्रों में अनुभव एवं योग्यताएं रखने वाले अधिकतम 5 (पांच) विशेषज्ञ।

(ग) उद्योग, शिक्षण संस्थाओं तथा गैर सरकारी संगठनों के अधिकतम 5 (पांच) प्रतिनिधि।

3. एन एस डी सी के कार्य एवं शक्तियां

एन एस डी आई की स्थापना, प्रचालन, प्रबंधन के लिए समुचित नीतियों, कार्यनीतियों तथा कार्यक्रमों के निर्माण एवं कार्यान्वयन और उपयोगीकरण तथा देश में स्थानिक आंकड़ों से संबंधित अन्य कार्यकलापों हेतु एन एस डी

सी राष्ट्रीय शीर्षस्थ प्राधिकरण होगा। इसके एक भाग के रूप में, एन एस डी सी निम्नकार्यों के लिए नीतियाँ, कार्यनीतियाँ बनाएगा :--

(i) देश में स्थानिक आंकड़ों की आवश्यकता का निर्धारण और इस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानिक आंकड़ों के सृजन अथवा एकत्रण का आदेश देना।

(ii) एन एस डी आई से संबंधित--इसकी स्थापना, पहुंच (एक्सेस), मूल्य आदि सहित सभी पहलुओं पर नीति निर्माण व इसे लागू करना।

(iii) स्थानिक आंकड़ा सृजन और देश में इसकी उपलब्धता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय एवं मध्यस्थता करना।

(iv) स्थानिक व्यवसाय क्षेत्रक में निवेश का संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण करना और ऐसे वातावरण का निर्माण करना जो प्रतिस्पर्धात्मक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करे।

(v) विशेष पाठ्यक्रम आदि प्रदान करने वाले मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों, संस्थाओं को एन एस डी आई के लिए मानव संसाधन विकास कार्यकलापों को करने हेतु प्रोत्साहित करके स्थानिक आंकड़ा क्षेत्रक में मानव संसाधन विकास को बढ़ावा देना।

(vi) एन एस डी आई कार्यकलापों से संबंधित उन्नत अनुसंधान का प्रोत्साहन और देश में एन एस डीआई के लिए आर एण्ड डी के तालमेल को समर्थ बनाना।

(vii) किसी आंकड़े को ऐसे मूल्यों पर जैसा कि उचित हो उपलब्ध कराने के लिए किसी सदस्य, व्यक्ति, एंटीटीज़ अथवा संगठन को आदेश देना।

(viii) एन एस डी आई से संबंधित अथवा जुड़े हुए किसी भी मुद्दे पर केन्द्र सरकार को सहयोग एवं परामर्श देना।

(ix) मार्केटिंग, आंकड़ा सृजन, आंकड़ा प्रसार, पहुंच, परामर्श, किसी आंकड़े के व्यापारिक उपयोग आदि सहित, एन एस डी आई के किसी कार्यकलाप से संबंधित अथवा जुड़ी हुई किसी विशिष्ट गतिविधि को करने के लिए किसी तीसरे पक्ष के साथ उचित व्यवस्था में प्रवेश करना।

(x) ऐसे सभी कार्य एवं क्रियाकलाप करना जो एन एस डी आई के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक, लाभदायक या अन्यथा वांछनीय हों।

4. एन एस डी आई की कार्यकारिणी समिति का गठन

एन एस डी आई की कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे (पदेन क्षमता)

(i)	भारत के महासर्वेक्षक	- अध्यक्ष
(ii)	निदेशक, राष्ट्रीय दूर संवेदन एजेंसी	- सह-अध्यक्ष
(iii)	संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	- सदस्य
(iv)	संयुक्त सचिव, अंतरिक्ष विभाग	- सदस्य
(v)	महानिदेशक, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण	- सदस्य
(vi)	निदेशक, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भू उपयोग नियोजन ब्यूरो	- सदस्य
(vii)	निदेशक, भारतीय वन सर्वेक्षण	- सदस्य
(viii)	अध्यक्ष, केन्द्रीय भू जल बोर्ड	- सदस्य
(ix)	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग	- सदस्य
(x)	महानिदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग	- सदस्य
(xi)	महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र	- सदस्य
(xii)	महापंजीयक, भारत जनगणना के प्रतिनिधि	- सदस्य
(xiii)	निदेशक, राष्ट्रीय एटलस एवं थिमेटिक मानचित्रण संगठन (नैटमो)	- सदस्य
(xiv)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एन एस डी आई	- सदस्य-सचिव

इसके अतिरिक्त, एन एस डी आई कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष की सिफारिश पर, एन एस डी सी विनिर्दिष्ट समय के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) सुदूर संवेदन, अंकीय मानचित्रण, फोटोग्रामिट्री, स्थानिक एवं गैर स्थानिक डाटाबेसों, सूचना प्रौद्योगिकी, नेटवर्किंग, सोफ्टवेयर, व्यवसाय प्रबंधन विधि एवं अन्य संबंधित क्षेत्र--एन एस डी आई से संबंधित क्षेत्रों में अनुभव एवं योग्यताएं रखने वाले 8 (आठ) विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकती है।

5. कार्यकारिणी समिति के कार्य एवं शक्तियां

एन एस डी आई कार्यकारिणी समिति इस संदर्भ में एन एस डी सी द्वारा तैयार विनियमों या अन्यथा एन एस डी सी द्वारा एन एस डी आई कार्यकारिणी समिति को निर्देशानुसार अथवा प्रत्यायोजनानुसार बताए गए कार्यों सहित एन एस डी सी के लिए और इसकी ओर से कोई एवं सभी कार्यान्वियन संबंधी तथा कार्यकारी कार्यों को करेगी। इन कार्यों एवं शक्तियों में निम्नलिखित शामिल होंगे :

(i) एन एस डी आई कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय मानकों को परिभाषित और सुनिश्चित करना तथा एन एस डी आई की निर्बाध स्थापना एवं पहुंच (एक्सेस) को समर्थ बनाना।

(ii) एन एस डी आई तथा एन एस डी आई के किन्हीं अन्य उद्देश्यों एवं कार्यों का निर्धारण करने के लिए तकनीकी, वित्तीय अथवा अन्य उप-समितियों का गठन करना।

(iii) एन एस डी आई डाटाबेसों, सर्वरों, नेटवर्कों और पहुंच (एक्सेस) नियमों एवं फिल्टरों को समर्थ बनाने के लिए नियमों एवं कार्यविधियों को परिभाषित तथा तैयार करना।

(iv) एन एस डी सी को इसके कार्यों एवं एन एस डी आई से संबंधित अथवा जुड़े हुए किसी भी विषय पर सहायता और परामर्श देना।

(v) नए स्थानिक एवं गैर स्थानिक आंकड़ों को शामिल करके और एन एस डी आई में व्यापक भागीदारी को समर्थ बनाकर एन एस डी आई के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एन एस डी सी को परामर्श देना।

(vi) नव आगन्तुकों, निजी क्षेत्रक भागीदारी को आकर्षित करने के लिए कार्यकलाप करना और एन एस डी आई से संबंधित नवोन्मेषों को बढ़ावा देना।

(vii) विकासात्मक और आर्थिक कार्यकलापों को सहयोग करने के लिए एन एस डी आई के उपयोग से संबंधित मूल्य-वर्धित-सेवाओं को प्रोत्साहित तथा आरंभ करना।

(viii) ऐसे सभी कार्य एवं क्रियाकलाप करना जो एन एस डी आई के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक, लाभदायक या अन्यथा वांछनीय हों।

6. नियम एवं प्रक्रियाएं

एन. एस. डी. सी. को अपने कार्य संचालन हेतु नियम और प्रक्रियाएं बनाने का अधिकार होगा। समिति की बैठक ऐसे समय और स्थानों पर होगी जैसा कि अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों, सभी राज्य सरकारों और देश की वैज्ञानिक संस्थाओं को प्रेषित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

संजीव नायर
संयुक्त सचिव

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जून 2006

शुद्धि पत्र

सं. ई-11013/3/2004-हिंदी--इस विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन से संबंधित सम संख्यक संकल्प दिनांक 27 जून, 2005 में निम्नलिखित को जोड़ा जाए :--

क्रम संख्या 18 में-- श्रीमती जरीना के स्थाई पते को जोड़ा जाए :-
श्रीमती जरीना,
पत्नी श्री हामिद अली,
मोहल्ला मीरा चबूतरा,
ग्राम-सेवाइत, जिला इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)
पिन कोड-212 503

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों, भारत के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, केबिनेट सचिवालय, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग और भारत निर्वाचन आयोग को भेज दी जाए।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

प्रभाकर
उप सचिव

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 जून 2006

सं. एन-11027/30/2006-बीएसयूपी/यूपीए-III--शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय में एतद्द्वारा भूधृति कार्यबल (टास्क फोर्स ऑन लैण्ड टेन्योर) का गठन इस प्रकार किया जाता है :--

क्रम सं.		
1.	सचिव (यूईपीए)	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सलाहकार/सलाहकार एचयूडी	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव (एचईपीए) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय	सदस्य
4.	श्री गोपाल कृ संयुक्त सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय	सदस्य
5 से 10.	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के प्रमुख सचिव/सचिव, नगर प्रशासन/शहरी विकास	सदस्य
11.	श्री ओ.पी. माथुर, निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एवं पालिसी (एनआईपीएफपी), 18/2 सत्संग विहार मार्ग, स्पेशल इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110 067	सदस्य
12.	श्रीमती स्वाती रामानाथन, जनगृह सेंटर फॉर सिटिजनशिप एण्ड डेमोक्रेसी, चतुर्थ तल, यूएनआई बिल्डिंग, थिमय्या रोड़, वसंत नगर बंगलौर-560 052	सदस्य
13.	श्रीमती शीला पटेल, निदेशक, सोसाइटी फार द प्रमोशन ऑफ एरिया रिसोर्स सेन्टर्स (एसपीएआरसी) दूसरा तल, खेटवाड़ी म्यूनिसिपल स्कूल बिल्डिंग, पहली गली, खेटवाड़ी, निकट अलंकार सिनेमा, गिरगांव, मुंबई	सदस्य
14.	श्रीमती सुष्मिता शेखर, उपाध्यक्ष, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गनाइजेसन, सुलभ ग्राम, महावीर इंक्लेव, पालम-डाबड़ी मार्ग, नई दिल्ली-110 045	सदस्य
15.	निदेशक (यूपीए)	सदस्य सचिव

2. शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा गठित भूधृति कार्यबल के विचारार्थ विषय इस प्रकार है :--

(i) देश में शहरी क्षेत्रों में, विशेषकर गरीबों के संबंध में, भूधृति की मौजूदा प्रणालियों की जांच करना।

(ii) दक्षिण अफ्रीका और लेटिन अमरीकी देशों सहित/इस प्रकार के अन्य देशों में इसी प्रकार की भूधृति प्रणालियों की जांच भी करना।

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi, the 13th June 2006

RESOLUTION

CONSTITUTION OF NATIONAL SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE

No. SMP/25/003/05.—1. Whereas spatial data infrastructure is a collection of technologies, policies and institutional arrangements to facilitate availability of and access to spatial data, acquired and held by different agencies and organisations to a vast, diverse and ever growing community of users and promote the use of the spatial data infrastructure at community, local, state, regional and national levels for sustained economic growth;

And whereas the Government of India propose to establish a national infrastructure known as the National Spatial Data Infrastructure ("NSDI") for the purposes of acquiring, processing, storing, distributing and improving utilisation of spatial data which would be a gateway of spatial data being generated by various agencies of the Government of India;

And whereas the data producing agencies of the Government of India shall be initially the contributing agencies to the NSDI and that Government through the National Spatial Data Committee ("NSDC") shall facilitate participation of other data producing agencies for such purpose;

Now therefore the Government of India has accordingly decided to establish NSDC with the composition, functions and powers as specified in this resolution:—

2. Constitution of the National Spatial Data Committee (NSDC):

The NSDC shall consist of the following permanent Members (ex-officio capacity):

(i)	Minister of Science and Technology, GoI	President
(ii)	Secretary, Department of Science & Technology, GoI	Member
(iii)	Secretary, Department of Space, GoI	Member
(iv)	Secretary, Ministry of Home Affairs, GoI	Member
(v)	Secretary, Ministry of Defence, GoI	Member
(vi)	Secretary, Ministry of Water Resources GoI	Member
(vii)	Secretary, Department of Land Resources GoI	Member
(viii)	Member Secretary, Planning Commission	Member
(ix)	Secretary, Ministry of Environment & Forest, GoI	Member
(x)	Secretary, Ministry of Urban Development, GoI	Member
(xi)	Secretary, Department of Ocean Development, GoI	Member
(xii)	Secretary, Ministry of Mines, GoI	Member
(xiii)	Secretary, Ministry of Information Technology, GoI	Member
(xiv)	Registrar-General, Census of India	Member
(xv)	Surveyor General, SOI/Director, NRSA	Member-Secretary

On and from such date and term as may be decided by the NSDC, the NSDC can appoint the following additional Members :

(a) maximum of 5 (five) Secretary rank officials of the Government of India or State Government departments whose activities are related to the NSDI;

(b) maximum of 5 (five) Experts having experience and qualifications in the fields related to NSDI—Geographical Information System (GIS), Remote Sensing, Digital Mapping, Photogrammetry, Spatial and Non-spatial databases, Information Technology, Networking, Software, Business Management, Law and other related fields;

(c) maximum of 5 (five) representatives from industry, academia and NGO's.

3. Functions and Powers of the NSDC

The NSDC shall be the apex national authority for formulating and implementing appropriate policies, strategies and programmes for the establishment, operation, management of the NSDI and utilisation and any other activities related to spatial data in the country. As part of this, the NSDC will :

(i) determine the requirement of spatial data in the country and require the creation or collection of spatial data to fill such requirement;

(ii) formulate and position policies on all aspects related to the NSDI — including its esablishment, access, pricing etc.;

(iii) decide and arbiter on issues relating to spatial data generation and its availability in the country;

(iv) promote and enable investment in the spatial business sector and to create an environment that encourages competitive excellence;

(v) promote the development of human resources in the spatial data sector by encouraging existing training

institutes, universities, institutions offering specialized courses, etc. to undertake human resources development activities for NSDI;

(vi) promote advanced research related to the NSDI activities and enable an ambience of R&D for NSDI in the country;

(vii) require any Member, persons, entities or organisations to provide access to any data at such costs as may be reasonable;

(viii) aid and advise the Central Government on any matter related to or connected with the NSDI;

(ix) enter into appropriate arrangement with any third party to undertake any specific activity connected with or related to any of the activities of the NSDI, including marketing, data generation, data assimilation, access, consulting, commercial exploitation of any data, etc;

(x) do all such acts and deeds that may be necessary, beneficial or otherwise desirable to achieve the objectives of the NSDI.

4. Establishment of Executive Committee of NSDI :

The NSDI Executive Committee shall have the following members (ex-officio capacity) :

(i)	Surveyor General of India	Chairman
(ii)	Director, National Remote Sensing Agency	Co-Chairman
(iii)	Joint Secretary, Department of Science & Tech.	Member
(iv)	Joint Secretary, Department of Space	Member
(v)	Director General, Geological Survey of India	Member
(vi)	Director, Nat. Bur. of Soil Survey and Landuse Planning	Member
(vii)	Director, Forest Survey of India	Member
(viii)	Chairman, Central Ground Water Board	Member
(ix)	Chairman, Central Water Commission	Member
(x)	Director-General, India Meteorology Department	Member
(xi)	Director-General, National Informatics Centre	Member
(xii)	Representative of Registrar-General, Census of India	Member
(xiii)	Director, National Atlas and Thematic Mapping, (NATMO)	Member
(xiv)	Chief Executive Officer, NSDI	Member-Secretary

In addition, the NSDC may appoint for a specified term, on recommendation of the Chairperson of NSDI Executive Committee, Eight (8) Experts having experience and qualifications in the fields related to NSDI — Geographical Information System (GIS), Remote Sensing, Digital Mapping, Photogrammetry, Spatial and Non-spatial Database, Information Technology, Networking, Software, Business Management, Law and other related fields.

5. Functions and Powers of the Executive Committee :

NSDI Executive Committee shall undertake any and all implementing and executive functions for and on behalf of the NSDC including functions as may be prescribed by regulations framed by the NSDC in this connection or otherwise as directed or delegated upon the NSDI Executive Committee by the NSDC. Such functions and powers would include :

(i) To define and ensure implementation of national standards for NSDI activities and to enable a smooth establishment and access to NSDI;

(ii) To constitute technical, financial or other sub-committees to establish the NSDI and any other objectives and functions under the Act;

(iii) To define and formulate rules and procedures for enabling NSDI databases, servers, networks and access rules and filters;

(iv) To aid and advise the NSDC on any matter related to or connected with its functions and the NSDI;

(v) To advise the NSDC on expanding the scope of NSDI by including newer spatial and non-spatial data and enabling a larger participation in NSDI;

(vi) To undertake activities to attract new entrants, private sector participation and stimulate innovation related to NSDI;

(vii) To encourage and set into operations value-added-services relating to the usage of NSDI for supporting developmental and economic activities;

(viii) To do all such acts and deeds that may be necessary, beneficial or otherwise desirable to achieve the objectives of the NSDI.

6. Rules & Procedures :

The NSDC shall have power to frame rules and procedures for the conduct of its business. The Committee shall meet at such time and places as fixed by the Chairman.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments, Government of India, all the State Governments and Scientific Institutions in the country.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SANJIV NAIR
Jt. Secy.